

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मथ कार्यरत स्थान	अवधि	राउमावि/रावाउमावि जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्री रतिराम व्याख्याता अंग्रेजी शहीद मेजर पूरणसिंह राज. फोर्ट उमावि बीकानेर	मार्च 2021 से आगामी आदेश तक	शहीद मेजर पूरणसिंह राज. फोर्ट उमावि बीकानेर में पुस्तकालयाध्यक्ष प्रथम श्रेणी के रिक्त पद के विरुद्ध।
1	श्री मनीष राम पूनिया व्याख्याता संस्कृत, कार्यालय ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थान, नोहर (हनुमानगढ़)	फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक	राउमावि बड़विराना, नोहर, हनुमानगढ़ से व्याख्याता हिन्दी के रिक्त पद विरुद्ध।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/वेतन व्यवस्था/2019-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित प्रधानाचार्य
5. संबंधित कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट
7. रक्षित पत्रावली

दिनांक : 26/03/2021

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर